

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2022—श्रावण 7, शक 1944

### भाग 3 (1)

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रोशनी डेमला पत्नी श्री महेश डेमला सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम श्रीमती रत्ना कुकरेजा था. जो मेरे पैन कार्ड एवं बीमा पॉलिसी में लिखा है. जबकि वर्तमान में मैं, श्रीमती रोशनी डेमला के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड इत्यादि में लिखा है. श्रीमती रोशनी डेमला एवं श्रीमती रत्ना कुकरेजा दोनों मेरे ही नाम हैं एवं भविष्य में भी मैं, श्रीमती रोशनी डेमला पत्नी श्री महेश डेमला के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम श्रीमती रत्ना कुकरेजा के स्थान पर श्रीमती रोशनी डेमला लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम

(रत्ना कुकरेजा)

(G-1309)

नया नाम

(रोशनी डेमला)

पत्नी श्री महेश डेमला,

पता— माधोगंज, फर्श वाली गली,

उत्तार खाना, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

#### नाम परिवर्तन

मैं, MEGHA JAIN W/O MR. SAKET KUMAR JAIN निवासी— म.नं. 74, श्रीराम परिसर, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.) की हूँ. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम SARAF MEGHA SIDDARTH KUMAR दर्ज है एवं विवाह पश्चात् मेरा नाम— MEGHA JAIN W/O MR. SAKET KUMAR JAIN हो गया है. जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम SARAF MEGHA SIDDARTH KUMAR दर्ज है उसके स्थान पर MEGHA JAIN W/O MR. SAKET KUMAR JAIN पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(SARAF MEGHA SIDDARTH KUMAR)

(G-1310)

नया नाम

(MEGHA JAIN)

(W/O MR. SAKET KUMAR JAIN)

**उपनाम परिवर्तन**

मैं, मीना बरौनिया पत्नि श्री रामस्वरुप बरौनिया, निवासी-221, एल.आई.जी., अशोका पैलेस, अप्सरा टाकीज के पास, भोपाल, जिला भोपाल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मैं, मीना बरौनिया भविष्य में केवल मीना गुप्ता (Meena Gupta) के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी. समस्त शासकीय, अशासकीय अथवा प्राईवेट दस्तावेजों में मेरा नाम मीना गुप्ता (Meena Gupta) किया, लिखा व पढ़ा जावेगा.

पुराना नाम

**(MEENA BARONIA)**

नया नाम

**(MEENA GUPTA)**

(G-1311)

**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्री लक्ष्मी साहू के शैक्षणिक रिकार्डों में त्रुटिवश लक्ष्मी गुप्ता लेख हो गया है. अतः मेरे पुत्री का नाम लक्ष्मी गुप्ता के वजाय लक्ष्मी साहू के नाम से जाना जावे. जो सर्व विदित होवे.

पुराना नाम

**(लक्ष्मी गुप्ता)**

नया नाम

**( लक्ष्मी साहू )**

(G-1312)

**नाम परिवर्तन**

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम "शिखा हरकवात पुत्री प्रवीण कुमार हरकवात" था तथा मेरा यही नाम विवाह पूर्व के समस्त दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज/अंकित है. मेरा विवाह श्री सुनील श्रीमाल के साथ सम्पन्न होने उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर मेरा नाम श्रीमती शिखा श्रीमाल पति सुनील श्रीमाल हो गया है व विवाह उपरांत से मैं, अपने इसी नाम से सम्बोधित व पहचानी जाती हूँ व भविष्य में भी मैं, अपने इसी नाम से जानी जाऊंगी. उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम हैं.

नया नाम

**(शिखा श्रीमाल)**

पति सुनील श्रीमाल,

पता-बी-48, वी.डी. क्लार्थ मार्केट,

फाजलपुरा, उज्जैन (म.प्र.)

(G-1313)

**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेरे सभी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम प्रदीप जोशी पुत्र श्री सुरेश जोशी दर्ज है. मैंने अपना उपनाम बदलकर जोशी के स्थान पर शर्मा रख लिया है. भविष्य में मुझे प्रदीप शर्मा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे. कृपया सूचित हो.

प्रेषक,

**(प्रदीप शर्मा)**

निवासी- सिकंदर कम्पू, बजरंगगढ़,

लशकर, खालियर (म.प्र.).

(G-1314)

**नाम परिवर्तन**

मैं, उर्वशी मानपुरिया पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार मानपुरिया, एतद्वारा सूचित करती हूँ कि मेरा शादी से पूर्व का नाम ऊषा कुशवाह था, जिसका मैंने शादी के पश्चात् पूर्णतः त्यागकर दिया है तथा वर्तमान में मुझे उर्वशी मानपुरिया के नाम से ही जाना जाता है. इस सूचना की तिथि से नवीन नाम उर्वशी मानपुरिया अधिकृत कर लिया गया है.

अपने इस निश्चत को प्रकट करने के प्रयोजनार्थ घोषणा करती हूँ कि मैं इसके पश्चात् समस्त समयों पर समस्त दस्तावेज/अभिलेख, विलेख तथा लेखों में अपने नवीन नाम उर्वशी मानपुरिया का प्रयोग करूंगी एवं उर्वशी मानपुरिया के रूप में हस्ताक्षर करूंगी.

पुराना नाम

(ऊषा कुशवाह)

पिता स्व. श्री कैलाश नारायण कुशवाह

नया नाम

(उर्वशी मानपुरिया)

पति श्री जितेन्द्र कुमार मानपुरिया,  
पता- म.नं. 247, हरि नगर, भदभदा रोड,  
नीलबड़, भोपाल (म.प्र.).

(G-1315)

### नाम परिवर्तन

मेरा नाम अरनवराज सिंह गौतम (Arnavraj Singh Goutam) है. मेरा पता 103, पंचवटी नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर (म.प्र.) पिन-452005 है. मेरे स्कूल सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स में भी मेरा यही नाम दर्ज है. लेकिन मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा घर का नाम लव सिंह गौतम (Luv Singh Goutam) दर्ज हो गया. मैं, घोषित करता हूँ कि मेरा सही व वास्तविक नाम अरनवराज सिंह गौतम (Arnavraj Singh Goutam) ही है.

पुराना नाम

(लव सिंह गौतम)

नया नाम

(अरनवराज सिंह गौतम)

(G-1316)

### नाम परिवर्तन

मेरा नाम न्यासा गौतम (Nyasa Goutam) है. मेरे स्कूल सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स में भी मेरा यही नाम दर्ज है. मेरा पता 103, पंचवटी नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर (म.प्र.) पिन-452005 है. लेकिन मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा घर का नाम चाहत गौतम (Chahat Goutam) दर्ज हो गया. मैं, घोषित करती हूँ कि मेरा सही व वास्तविक नाम न्यासा गौतम (Nyasa Goutam) ही है.

पुराना नाम

(चाहत गौतम)

नया नाम

(न्यासा गौतम)

(G-1317)

### नाम परिवर्तन

मैं,मीरगौस अली सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री असरा अली (Asra Ali) के शैक्षणिक प्रपत्रों में (पिता) एवं उनकी माँ के नाम के स्थान पर मेरा नाम GAUS ALI एवं उसकी माँ का नाम SEEMA PARVEEN लिखा गया है जो कि गलत है जबकि मेरा और मेरी पत्नी का सही नाम (पिता) मीरगौस अली MIRGHOUSE ALI एवं उसकी (माँ) का नाम सीमा अली (SEEMA ALI) है. जो सत्य व सही है और वर्तमान में हम इसी नाम से जाने, पहचाने और पुकारे जाते हैं और भविष्य में भी इसी नाम से जाने, पहचाने एवं पुकारे जाएंगे. अतः मेरे पुत्री के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में पिता और माता के गलत नाम GAUS ALI और SEEMA PARVEEN के स्थान पर सही नाम MIRGHOUSE ALI और SEEMA ALI लिखा और पढ़ा जाए. आमजन, सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम

(पिता GAUS ALI  
माँ SEEMA PARVEEN)

नया नाम

(पिता MIRGHOUSE ALI  
माँ SEEMA ALI)

(G-1318)

**नाम परिवर्तन**

मैं, रूचि अग्रवाल पत्नी श्री मनोज अग्रवाल, निवासी- न्यू पंजाव डेयरी के सामने, दही मण्डी, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. शपथ-पत्र दैनिक समाचार पत्र के द्वारा नोटरी के समक्ष अपना नाम रेनू अग्रवाल से रूचि अग्रवाल बदल लिया है. आज के बाद मुझे रूचि अग्रवाल नाम से सम्बोधित किया जावेगा.

पुराना नाम  
(रेनू अग्रवाल)

नया नाम  
(रूचि अग्रवाल)

(G-1319)

**नाम परिवर्तन**

मैं, कैलाश ठगेले सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक प्रपत्रों में उसका नाम भूमिका ठाकरे (Bhumika Thakre) लिखा गया है, जो गलत है. उसका सही नाम भूमिका ठगेले (Bhumika Thagele) है एवं वह इस नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती है और भविष्य में भी इस नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाएगी. उसका नाम उसके प्रपत्रों में भूमिका ठगेले (Bhumika Thagele) लिखा और पढ़ा जाए. आमजन, सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम  
(BHUMIKA THAKRE)

नया नाम  
(BHUMIKA THAGELE)

(G-1320)

**CHANGE OF NAME**

I, hereby declare that, I have changed my name from Kailash Chandra, Kailash Kumar Dodeja to Kailash Kumar Malgani. Henceforth, I shall be known as Kailash Kumar Malgani for all purpose.

Old Name

New Name

( KAILASH CHANDRA, KAILASH KUMAR DODEJA)

( KAILASH KUMAR MALGANI )

207, Akhilalaya Napier Town,

Dyanand Saraswati Ward,

Jabalpur, M.P.-482001.

(G-1321)

**नाम परिवर्तन**

शादी के पूर्व में मेरा नाम लता मोहिते था. शादी के बाद में सीमा तिवारी हो गया था, किन्तु ज्योतिष अनुसार मैंने अपना नाम बदलकर लीना तिवारी करवा लिया है.

पुराना नाम  
(लता मोहिते)

नया नाम  
(लीना तिवारी)  
पति चन्द्रशेखर तिवारी,  
पता-बी-47, सेल्स टैक्स कॉलोनी,  
गुमास्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1322)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूमि जैन पुत्री श्री सुभाष चन्द्र जैन (Bhoomi Jain D/o Subhash Chandra Jain) निवासी-भोपाल की दसवीं की मार्कशीट में त्रुटि से नाम भूमि जैन पुत्री सुभाष चन्द्र जैन अंकित हो गया है. जबकि अन्य समस्त दस्तावेजों में नाम भूमि जैन पुत्री सुभाष चन्द्र जैन (Bhoomi Jain D/o Subhash Chandra Jain) अंकित है कि मुझे आगे से भूमि जैन पुत्री सुभाष चन्द्र जैन (Bhoomi Jain D/o Subhash Chandra Jain) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(भूमि जैन पुत्री सुभाष जैन)  
(Bhoomi Jain D/o Subhash Jain)

नया नाम  
(भूमि जैन पुत्री श्री सुभाष चन्द्र जैन)  
(Bhoomi Jain D/o Subhash Chandra Jain.)

(G-1323)

**CHANGE OF NAME**

It is to bring kind notice to the people that my daughter previous name MAHI KANDHARI D/O KAMAL KANDHARI has been changed to MAHI KUKREJA D/O KAMAL KUKREJA there fore in future my daughter will be known by the her new name only, KAMAL KUKREJA

Old Name

( MAHI KANDHARI )

New Name

( MAHI KUKREJA )  
13-A/1, REGENCY RIDHI  
SIDHI GANESH PURI  
KHAJRANA ROAD,  
INDORE (M.P.)

(G-1324)

**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समस्त शासकीय/गैरशासकीय दस्तावेजों में वर्तमान में मेरा विकास मंगल नाम दर्ज है एवं जिला चिकित्सालय, गुना में संविदा लेखापाल के पद पर कार्यरत हूँ, दिनांक 10.06.2022 के बाद समस्त शासकीय एवं गैरशासकीय दस्तावेजों में भविष्य में मेरा नाम विकास अग्रवाल के नाम से जाना एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम

( विकास मंगल )

नया नाम

( विकास अग्रवाल )  
गली नं. 02, मॉडर्न स्कूल के पीछे,  
सोनी कॉलोनी, गुना (म0प्र0)

(G-1325)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मयंक कुशवाह है मेरी कक्षा 12वीं की अंकसूची में मेरी माता का नाम निशा (NISHA) व पिता जी का नाम एम0एस0 कुशवाह (M.S. KUSHWAH) के स्थान पर भविष्य में निशा कुशवाह (NISHA KUSHWAH) व मनोहर सिंह कुशवाह (MANOHAR SINGH KUSHWAH) के नाम से जाना जावे एवं मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम मयंक (MAYANK) मेरी माता का निशा सिंह (NISHA SINGH) व मेरे पिता जी का नाम एम.एस. कुशवाह (M.S. KUSHWAH) के स्थान पर भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मयंक कुशवाह (MAYANK KUSHWAH) माता का नाम निशा कुशवाह (NISHA KUSHWAH) व पिता जी को मनोहर सिंह कुशवाह (MANOHAR SINGH KUSHWAH) के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम

मयंक (MAYANK)

पिता – एम0एस0 कुशवाह (M.S. KUSHWAH)

माता – निशा सिंह (NISHA SINGH)

(G-1326)

नया नाम

मयंक कुशवाह (MAYANK KUSHWAH)

पिता-मनोहर सिंह कुशवाह  
(MANOHAR SINGH KUSHWAH)

माता – निशा कुशवाह  
(NISHA KUSHWAH)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम यश कुशवाह (YASH KUSHWAH) है मेरी कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूची में मेरे पिता जी का नाम एम.एस. कुशवाह (M.S. KUSHWAH) अंकित है, जबकि मेरे पिता जी का पूरा नाम मनोहर सिंह कुशवाह (MANOHAR SINGH KUSHWAH) है. भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे पिता जी को उनके पूरे नाम मनोहर सिंह कुशवाह (MANOHAR SINGH KUSHWAH) के नाम से जाना जावे.

आवेदक का नाम— यश कुशवाह (YASH KUSHWAH)

आवेदक का नाम— यश कुशवाह  
(YASH KUSHWAH)

पिता का पुराना नाम— एम0एस0 कुशवाह (M.S. KUSHWAH)

पिता का नया नाम —मनोहर सिंह कुशवाह  
(MANOHAR SINGH KUSHWAH)

(G-1327)

### नाम परिवर्तन

शादी के पूर्व मेरा नाम डॉली परतेती था, शादी के बाद अब मेरा नाम डॉली श्रीवास्तव पति डॉ. सुगन्ध श्रीवास्तव है. कृपया मुझे अब डॉली श्रीवास्तव पति डॉ. सुगन्ध श्रीवास्तव के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(डॉली परतेती)

नया नाम  
(डॉली श्रीवास्तव)  
पति डॉ. सुगन्ध श्रीवास्तव  
पता :- 35 अमरनाथ एवेन्यू इंदौर रोड,  
उज्जैन (म.प्र.)

(G-1328)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र वेदांश साहू, आयु-7 वर्ष, निवासी 132- विश्वकर्मा नगर, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर (म.प्र.) का नाम जन्म के समय वेदांश रखा गया था, जो कि उसके आधार कार्ड और समग्र आईडी और पासपोर्ट में भी दर्ज है, परंतु बाद में परिवार की सहमति से उसका नाम वेदशंकर रखना तय किया गया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र का नाम वेदांश साहू के स्थान पर वेदशंकर साहू के नाम को सभी दस्तवेजों में अंकित कर जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा जाए.

पुराना नाम  
( वेदांश साहू )  
(VEDANSH SAHU)

नया नाम  
( वेदशंकर साहू )  
(VEDSHANKAR SAHU)

पिता— आशीष साहू  
निवासी-132, विश्वकर्मा नगर,  
अन्नपूर्णा रोड, इंदौर (म.प्र.)

(G-1329)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गुजराती डेवलपर्स फर्म जिसका पता— 80, पेशवा मार्ग, सारुथ एरिया, महेश्वर, खरगोन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03-30-06-0166-17, दिनांक 10-01-2017 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री जितेन्द्र कुमार गुजराती पिता श्री कृष्णकांत गुजराती एवं 2. श्री राहुल गुजराती पिता श्री कृष्णकांत गुजराती थे. तत्पश्चात् दिनांक 06-05-2022 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री अमन गुजराती पिता श्री राहुल गुजराती भागीदारी फर्म मेसर्स गुजराती डेवलपर्स में सम्मिलित हो गए हैं तथा 1. श्री जीतेन्द्र कुमार गुजराती पति श्री कृष्णकांत गुजराती

भागीदारी फर्म मेसर्स गुजराती डेवलपर्स से पृथक् हो गये हैं भागीदार ने फर्म मेसर्स गुजराती डेवलपर्स से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है।

यह विदित हो।

तर्फ  
मेसर्स गुजराती डेवलपर्स,  
1. राहुल गुजराती,  
2. अमन गुजराती  
(भागीदार)

(G-1330)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जी ट्री रिसॉर्ट्स एंड मैरिज गार्डन फर्म जिसका पता- 14, बाज़ार चौक, वार्ड नं. 1, महेश्वर, खरगोन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03-30-06-0046-20, दिनांक 30-07-2020 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री जितेन्द्र कुमार गुजराती पिता श्री कृष्णकांत गुजराती एवं 2. श्री राहुल गुजराती पिता श्री कृष्णकांत गुजराती थे। तत्पश्चात् दिनांक 07-05-2022 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री अमन गुजराती पिता श्री राहुल गुजराती भागीदारी फर्म मेसर्स जी ट्री रिसॉर्ट्स एंड मैरिज गार्डन में सम्मिलित हो गए हैं तथा 1. श्री जितेन्द्र कुमार गुजराती पिता श्री कृष्णकांत गुजराती भागीदारी फर्म मेसर्स जी ट्री रिसॉर्ट्स एंड मैरिज गार्डन से पृथक् हो गये हैं भागीदार ने फर्म मेसर्स जी ट्री रिसॉर्ट्स एंड मैरिज गार्डन से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है।

यह विदित हो।

तर्फ  
मेसर्स जी ट्री रिसॉर्ट्स एंड मैरिज गार्डन,  
1. राहुल गुजराती,  
2. अमन गुजराती  
(भागीदार)

(G-1331)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स- मंगलम स्टोन क्रेशर, भवन क्रमांक 255, पायक निवास- डी.आई.जी. ऑफिस के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06-12-01-0048-15, पंजीयन दिनांक 29-07-2015 को गठित होकर पंजीयत हुई और संशोधित दिनांक 16-11-2015 को जिसमें अजय सिंह पायक, विक्रम सिंह, श्रीमति देव कुमारी सिंह चौहान भागीदार थे और दिनांक 10-07-2019 को विक्रम सिंह, श्रीमति देव कुमारी सिंह चौहान ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और दिनांक 10-07-2019 को राजू द्विवेदी, श्रीमति निधि तिवारी फर्म में शामिल हो गए हैं। आज दिनांक 10-07-2019 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं अजय सिंह पायक, राजू द्विवेदी, श्रीमति निधि तिवारी एवं आज दिनांक 10-07-2019 को कार्यालय का स्थानांतरण हो गया है तो आज दिनांक 10-07-2019 से ग्राम खरौंही, वार्ड क्र. 01, खजुराहो, तहसील राजनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) पर कार्यालय स्थित हो गया है।

सूचनाकर्ता,  
मेसर्स-मंगलम स्टोन क्रेशर,  
राजू द्विवेदी,  
भागीदार.

(G-1332)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स- एस. के. कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाउस नं. 476, वार्ड क्र. 02, कृषि विभाग के पास, महोबा रोड, छतरपुर, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06-12-01-0024-20, पंजीयन दिनांक 29-06-2020 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें शशीन्द्र कुमार मिश्रा, प्रेम कुमार त्रिपाठी, जसवंत सिंह भागीदार थे और दिनांक 31-03-2022 को जसवंत सिंह ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 01-04-2022 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं- शशीन्द्र कुमार मिश्रा, प्रेम कुमार त्रिपाठी।

सूचनाकर्ता,  
एस.के. कंस्ट्रक्शन कम्पनी,  
शशीन्द्र कुमार मिश्रा,  
भागीदार.

(G-1333)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि मेसर्स सिद्ध विजय फ्यूल्स पंजीयन क्रमांक 03-27-0051-16, दिनांक 12-07-2016/2016-17 सहायक पंजीयक, फर्म्स एंड संस्थाएं के कार्यालय में पंजीकृत फर्म है. उक्त फर्म के दो भागीदार हैं, नितीन शुक्ला एवं सीमा शुक्ला हैं. उपरोक्त फर्म का भागीदारी लेख को निरस्तीकरण दिनांक 01-04-2022 को हो चुका है, के पश्चात् अब यह फर्म भागीदारी के रूप में फर्म्स एंड संस्थाएं, इन्दौर के कार्यालय से पंजीयन निरस्त होने के पश्चात् फर्म के रूप में कार्यरत् नहीं रहेगी, इसका समापन होना माना जावेगा.

फॉर सिद्ध विजय फ्यूल्स,  
नितीन शुक्ला,  
सीमा शुक्ला,  
पार्टनर.

(G-1334)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का नाम "मैसर्स न्यू बालाजी स्टोन मिल" जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 06-12-04-0127-19, दिनांक 02-01-2019 एवं फर्म का पता- 102, ग्राम दिद्वारा, लौंडी, छतरपुर-471510 में स्थित है, जिसमें दिनांक 10-10-2021 को चार पार्टनर (1) अर्पणा राय पत्नि स्व. श्री विपिन राय, आयु 42 वर्ष, निवासी म.नं. 190, गांधी नगर, महोबा, जिला महोबा (उ.प्र.), (2) विनोद कुमार शाही पुत्र श्री तेज बहादुर शाही, आयु 48 वर्ष, निवासी रौतापार, हंसगाँव, जिला गोरखपुर (उ.प्र.), (3) विनय कुमार राय पुत्र श्री राजनाथ राय, आयु 54 वर्ष, निवासी मकान नं. 625, गाँधी नगर, महोबा, जिला महोबा (उ.प्र.), (4) हरिशंकर राय पुत्र श्री सर्वजीत राय, आयु 46 वर्ष, निवासी मकान नं. 205, ग्राम व पोस्ट डुमरूला, जिला गोरखपुर (उ.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा पांच नए सदस्य (1) नीरज शिवहरे पिता श्री लक्ष्मी नारायण शिवहरे, आयु 42 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर, कबरई, जिला महोबा (उ.प्र.), (2) अमित कुमार गुप्ता पिता श्री कृष्णमुरारी गुप्ता, उम्र 32 वर्ष, मकान नं. 84, देवीगंज, फतेहपुर, अबूनगर (उ.प्र.), (3) सत्य लक्ष्मी शंकर पिता श्री राजेंद्र कुमार शिवहरे, उम्र 42 वर्ष, निवासी मकान नं. 78, राम नगर, तिंदवारी, बाँदा (उ.प्र.), (4) रोहित शिवहरे पिता श्री अरविन्द कुमार, उम्र 27 वर्ष, निवासी किडवाई नगर, कबरई, महोबा (उ.प्र.), (5) राहुल शिवहरे पिता श्री अरविन्द कुमार, उम्र 27 वर्ष, निवासी किडवाई नगर, कबरई, महोबा (उ.प्र.) भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. उक्त विषय हेतु किसी को भी कोई आपत्ति हो तो कृपया कर निम्नलिखित नंबर पर सूचित करें, आमजन तथा सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स न्यू बालाजी स्टोन मिल,  
राम आसरे गुप्ता,  
(भागीदार)  
मो. 8871783025.

(G-1335)

### नाम परिवर्तन

मैं, शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम अथर्व सिंह रघुवंशी (Atharva Singh Raghuwanshi) पुत्र शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी है, जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अथर्व सिंह (Atharva Singh) पुत्र शैलेन्द्र सिंह लिखा गया है, जो कि अपूर्ण है. मेरे पुत्र के अन्य सभी दस्तावेजों में उसका पूरा नाम अथर्व सिंह रघुवंशी (Atharva Singh Raghuwanshi) पुत्र शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी लिखा है, जो कि सत्य एवं सही ही और वर्तमान में वह इसी नाम से जाना, पहचाना और पुकारा जाता है और भविष्य में भी इसी नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाएगा. अतः आमजन, सर्वजन को कृपया सूचित हो.

मेरे द्वारा प्रकाशित 08 जुलाई 2022 (G-1206) में मेरे पुत्र का नाम परिवर्तन किया गया है, लेकिन मेरे पुत्र के उपनाम की स्पेलिंग गलत प्रकाशित हो गई है. कृपया इस राजपत्र को निरस्त कर पुनः प्रकाशित करने की कृपा करें.

पुराना नाम  
अथर्व सिंह  
(Atharva Singh)

नया नाम  
अथर्व सिंह रघुवंशी  
(Atharva Singh Raghuwanshi)

(G-1336)



## विविध

## न्यायालयों की अधिसूचनाएँ

कार्यालय, पंजीयक एवं लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोठीमहल, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-0003-बी-113-2022-23-468

प्रारूप चार  
(नियम-5) 1 (देखिए)  
सूचना पत्र

उज्जैन, दिनांक 11 जुलाई 2022

मध्य प्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1959( 1951 का 30) की धारा की उपलब्ध (2) मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए।

पंजीयक,  
लोकन्यास,  
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक उशंकर चैरिटेबल एण्ड शैक्षणिक ट्रस्ट , निवासी जेएमआईजी-10 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिवाजी नगर , 470001 तिलीग्राम सागर वर्तमान निवासी सरकारी क्वाटर नंबर ई-05 उदयन मार्ग उज्जैन म.प्र. ने लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 ( की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह सार्वजनिक, नारमार्थिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन किया है । एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 11.07.22 को प्रातः 11 बजे स्थान कोठी पेलेस उज्जैन का विचार के लिये लिया गया ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है ।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों पर पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 11.07.2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 1 द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची:-

( लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता )

न्यास का नाम:- आवेदक उशंकर चैरिटेबल एण्ड शैक्षणिक ट्रस्ट , निवासी जेएमआईजी-10 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिवाजी नगर , 470001 तिलीग्राम सागर वर्तमान निवासी सरकारी क्वाटर नंबर ई-05 उदयन मार्ग उज्जैन

कार्यालय:- सरकारी क्वाटर नंबर ई-05 उदयन मार्ग उज्जैन

अचल संपत्ति :- निरक

चल संपत्ति:- 51001

जगदीश मेहरा, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-परि-2022-1433

:: आदेश ::

उज्जैन, दिनांक 26 मई 2022

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1058 उज्जैन दिनांक 01.07.2021 द्वारा जय श्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कोयलखेडो, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2231 दिनांक 11.09.2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री जी.के.परसाई (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1338)

क्र.-परि-2022-1434

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1692 उज्जैन दिनांक 03.08.2021 द्वारा भीमाशंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कड़ाई, तहसील-महिदपुर, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2313 दिनांक 25.07.2016 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेश शेर (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1339)

क्र.-परि.-2022-1435

**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)**

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1659 उज्जैन दिनांक 02.08.2021 द्वारा भौं खोरियल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कुण्डीखेड़ा, तहसील-महिदपुर, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2267 दिनांक 07.10.2015 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेश शेर (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओ०पी० गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1340)

क्र.-परि.-2022-1436

**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)**

कार्यालयीन आदेश द्वारा चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित पाट, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 856 दिनांक 29.05.1961 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेश शेर (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओ०पी० गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1341)

क्र.-परि.-2022-1437

**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)**

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2825 उज्जैन दिनांक 23.08.2017 द्वारा तैलहन उत्पादक सहकारी संस्था नर्यादित ढाबलाहर्दू, तहसील-तराना, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 523 दिनांक 24.10.1980 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेश शेर (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1342)

क्र.-परि.-2022-1439

**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)**

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2825 उज्जैन दिनांक 23.08.2017 द्वारा प्रथमिक अवन्तिका रेल्वे ठेका श्रमिक सहकारी संस्था नर्यादित उज्जैन, तहसील-तराना, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1692 दिनांक 07.08.2006 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री वी.डी.जडे (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1343)

क्र.-परि.-2022-1440

## (म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 18 (1) के अंतर्गत)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/856 उज्जैन दिनांक 09.04.2014 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बेलरी, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 622 दिनांक 14.12.1983 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर.एस.सोलंकी (वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1344)

क्र.-परि.-2022-1680

उज्जैन, दिनांक 29 मई, 2022

## (म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)

कार्यालयीन आदेश द्वारा प्रियदर्शिनी हस्तशिल्प स्कीन वस्त्र रंगाई छपाई औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित भैरूमठ उज्जैन, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 814 दिनांक 23.07.1950 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेश शेर (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1345)

क्र.-परि.-2022-1677

**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)**

कार्यालयीन आदेश द्वारा कामधेनु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित महिदपुर, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 109 दिनांक 03.10.2008 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेश शेर (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओ०पी० गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1346)

क्र.-परि.-2022-1678

**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)**

कार्यालयीन आदेश द्वारा श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित आक्याधागा, महिदपुर, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1966 दिनांक 27.12.2014 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेश शेर (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओ०पी० गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(G-1347)

क्र.-परि.-2022-1679

**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत)**

कार्यालयीन आदेश द्वारा माकडोन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित माकडोन, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 603 दिनांक 04.02.1985 को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेश शेर (उप-अंकेक्षक) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था ।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं ओपीओ गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

ओ. पी. गुप्ता, उप आयुक्त.

(G-1348)

## कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएँ जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र.-परिसमापन-2022-क्यू-1

धार, दिनांक 11 जुलाई 2022

## // सूचना पत्र //

## (म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत)

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या कल्साडाखुर्द	1545 / 04.10.14	2506 / 20.05.22
2	बिलोदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या बिलोदा	1480 / 08.01.14	2507 / 20.05.22
3	राजीव गाँधी सफाई कामगार एवं यातायात सहकारी संस्था मर्या धार	937 / 25.05.1994	2508 / 20.05.22
4	श्री मांझी ईट भट्टा सहकारी संस्था मर्या धार	1718 / 09.10.17	2509 / 20.05.22
5	श्री साईं कृषि सामग्री क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या धार	1509 / 08.01.14	2510 / 20.05.22
7	श्री गणेश मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या धार	1721 / 09.10.17	2511 / 20.05.22
7	माँ शारदा औद्योगिक प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्या धार	1723 / 09.07.17	2512 / 20.05.22
8	आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या धार	1044 / 11.10.99	2513 / 20.05.22
9	माँ वाग्देवी गेम्स एवं फर्नीचर गुड्स सहकारी संस्था मर्या धार	1170 / 19.03.04	2514 / 20.05.22

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तको में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 11.07.2022 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

चन्दन शाक्यवार, परिसमापक एवं सब-ऑडिटर.

(G-1349)



## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

क्र.-परिसमापन-2022-445

बैतूल, दिनांक 5 जुलाई 2022

- कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्षक

सहकारी संस्था मर्यादित

पंजीयन क्रमांक 1857

दिनांक 26.12.2016

विकास खण्ड बैतूल जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया संचालक मण्डल सहकारी समिति मर्यादित

पंजीयन क्रमांक 1857 दिनांक 26.12.2016 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह-1सी, दिनांक 28.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1350)

क्र.-परिसमापन-2022-444

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव  
जय बजरंग को-ऑपरेटिव सहकारी विकास  
सहकारी संस्था मर्यादा बैतूल  
पंजीयन क्रमांक 1763 दिनांक 14.7.2014  
विकास खण्ड बैतूल जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया जय बजरंग को-ऑपरेटिव सहकारी संस्था मर्यादा बैतूल  
पंजीयन क्रमांक 1763 दिनांक 14.7.2014 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1351)

क्र.-परिसमापन-2022-443

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:- 69

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष महोदय

गान्धी जे.के.एस.डी.के.एस.डी.

सहकारी संस्था मर्यादा हिरारखेड

पंजीयन क्रमांक 1821 दिनांक 11.9.2016

विकास खण्ड 427 जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया गान्धी जे.के.एस.डी.के.एस.डी. सहकारी समिति मर्यादा हिरारखेड

पंजीयन क्रमांक 1821 दिनांक 11.9.2016 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओं सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओं सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1352)

क्र.-परिसमापन-2022-442

## म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यास/प्रबंध  
शिवशक्ति जैविक खादों का उत्पादन  
सहकारी संस्था मर्यादा 1813  
पंजीयन क्रमांक 1813 दिनांक 27.6.2015  
विकास खण्ड चोडडोडरी जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे है।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया शिवशक्ति जैविक खादों का उत्पादन सहकारी समिति मर्यादा 1813 पंजीयन क्रमांक 1813 दिनांक 27.6.2015 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओं सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि वयों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते है तो दिनांक 26.7.2022 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओं सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1353)

क्र.-परिसमापन-2022-441

-: कारण बताओ सूचना-पत्र- 69

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक  
जय अके जैके स्वयंसेवक संघ  
सहकारी संस्था मर्यादा रानीपुर  
पंजीयन क्रमांक 1790 दिनांक 25.3.2015  
विकास खण्ड चोखोशरी जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही हैं।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया जय अके जैके स्वयंसेवक संघ सहकारी समिति मर्यादा रानीपुर पंजीयन क्रमांक 1790 दिनांक 25.3.2015 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के० व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म० प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह-1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म० प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1354)

क्र.-परिसमापन-2022-440

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:- 69

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

30/07/2022

सहकारी संस्था मर्यादा

पंजीयन क्रमांक 1708

विकास खण्ड

आमला

दिनांक 27.2.2013

जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया संस्था सहकारी समिति मर्यादा

पंजीयन क्रमांक 1708 दिनांक 27.2.2013 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०बी० सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1355)

क्र.-परिसमापन-2022-439

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:- 69

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

सहकारी संस्था मर्यादा 43/5/11  
 पंजीयन क्रमांक 1586 दिनांक 17.10.2008  
 विकास खण्ड रायपुर जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे है।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया सहायक सहकारी समिति मर्यादा 43/5/11 पंजीयन क्रमांक 1586 दिनांक 17.10.2008 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के० व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह-1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते है तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1356)

क्र.-परिसमापन-2022-438

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

महिला सुरक्षा उत्पाद,

सहकारी संस्था मर्यादा 2151

पंजीयन क्रमांक 1884 दिनांक 9.3.2018

विकास खण्ड चिचोली जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया महिला सुरक्षा उत्पाद सहकारी समिति मर्यादा 2151

पंजीयन क्रमांक 1884 दिनांक 9.3.2018 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1357)



क्र.-परिसमापन-2022-437

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

सहकारी संस्था मर्यादित सोनोरा

पंजीयन क्रमांक 1476 दिनांक 5.9.2003

विकास खण्ड बुधना जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे है।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया सहकारी संस्था मर्यादित सोनोरा

पंजीयन क्रमांक 1476 दिनांक 5.9.2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह-1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 24.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1358)

क्र.-परिसमापन-2022-436

--: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत

प्रति,

शुभम/सचिव

सहकारी संस्था मर्यादित

पंजीयन क्रमांक 1780

विकास खण्ड बैतूल

गोदरा

दिनांक 15.10.2014

जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया शुभम/सचिव सहकारी समिति मर्यादित

पंजीयन क्रमांक 1780 दिनांक 15.10.2014 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1359)

क्र.-परिसमापन-2022-435

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

सहकारी संस्था मर्यादित

पंजीयन क्रमांक 1772

विकास खण्ड

गजपुर

दिनांक 16.9.2014

जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया इस संस्था सहकारी समिति मर्यादित गजपुर

पंजीयन क्रमांक 1772 दिनांक 16.9.2014 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०डी सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह-1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1360)

क्र.-परिसमापन-2022-434

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

सहकारी संस्था मर्यादित

पंजीयन क्रमांक 2124

विकास खण्ड 3116/22

पालखेडी

दिनांक 10.9.2018

जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया 30.07.2018 सहकारी समिति मर्यादित पालखेडी पंजीयन क्रमांक 2124 दिनांक 10.9.2018 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह-1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिटर की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1361)

क्र.-परिसमापन-2022-433

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत

प्रति,

~~अध्यक्ष/सचिव~~~~डूध उपार्जक~~सहकारी संस्था मर्या0 ~~करजोरपुर~~

पंजीयन क्रमांक 1899 दिनांक 5.5.2018

विकास खण्ड ~~शाहपुर~~ जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया ~~डूध उपार्जक~~ सहकारी समिति मर्या0 ~~करजोरपुर~~

पंजीयन क्रमांक 1899 दिनांक 5.5.2018 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के0व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म0प्र0 शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिटर की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1362)

क्र.-परिसमापन-2022-432

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:- 69

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

सहकारी संस्थान

सहकारी संस्था मर्यादित

सापल

पंजीयन क्रमांक 1771 दिनांक 16.9.2014

विकास खण्ड सापल जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया 30.07.2022 सहकारी समिति मर्यादित सापल

पंजीयन क्रमांक 1771 दिनांक 16.9.2014 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के0व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म0प्र0 शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिटर की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1363)

क्र.-परिसमापन-2022-431

:- कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत

प्रति,

अखिल सिखडूबर 304145सहकारी संस्था मर्यादा मो. 221617पंजीयन क्रमांक 1742 दिनांक 15.5.2014विकास खण्ड डूबर जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे है।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया डूबर 304145 सहकारी समिति मर्यादा मो. 221617 पंजीयन क्रमांक 1742 दिनांक 15.5.2014 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1364)

क्र.-परिसमापन-2022-430

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:- 69

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

सहकारी संस्था मर्यादित

पंजीयन क्रमांक 1673

विकास खण्ड बैतूल

जिला बैतूल

दिनांक 1.2.2012

जिला बैतूल

- इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-
- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
  - 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
  - 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
  - 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
  - 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
  - 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे है।
  - 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
  - 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
  - 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
- अतः प्रथम दृष्टया सहकारी संस्था मर्यादित सहकारी समिति मर्यादित जिला बैतूल पंजीयन क्रमांक 1673 दिनांक 1.2.2012 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।
- अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते है तो दिनांक 26.12.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1365)



क्र.-परिसमापन-2022-429

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत

प्रति,

~~अध्यक्ष~~ ~~सहकारी~~

सहकारी संस्था मर्या0

पंजीयन क्रमांक

विकास खण्ड

मोहरखेडा

1384

मुठलाई

दिनांक 3.3.1998

जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया ~~सहकारी~~ ~~संस्था~~ सहकारी समिति मर्या0 ~~मोहरखेडा~~

पंजीयन क्रमांक 1384 दिनांक 3.3.1998 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के० व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1366)

क्र.-परिसमापन-2022-428

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:- 69

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

दुग्ध उत्पादक

सहकारी संस्था मर्यादा छोड़ना

पंजीयन क्रमांक 1873 दिनांक 6.12.2017

विकास खण्ड 37677 जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे है।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादा छोड़ना पंजीयन क्रमांक 1873 दिनांक 6.12.2017 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1367)

क्र.-परिसमापन-2022-427

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

हुसैन उन्हाडे

सहकारी संस्था मर्यादा

पंजीयन क्रमांक 2132

विकास खण्ड आमला

देवघन

दिनांक 28.9.2018

जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया हुसैन उन्हाडे सहकारी समिति मर्यादा 29617

पंजीयन क्रमांक 2132 दिनांक 28.9.2018 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1368)

क्र.-परिसमापन-2022-426

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत

प्रति,

अहमदाबाद/पुणे/मुंबई  
सहकारी म.प्र. विकास कर्म साख

सहकारी संस्था मर्यादा साखी

पंजीयन क्रमांक 1361 दिनांक 11.11.1997

विकास खण्ड दोडा/दोडा जिला बैतूल

इस कार्यालय के अकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे है।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया (सूचना म.प्र. विकास कर्म साख) सहकारी समिति मर्यादा साखी

पंजीयन क्रमांक 1361 दिनांक 11.11.1997 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थाये बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते है तो दिनांक 24.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 27.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1369)

क्र.-परिसमापन-2022-425

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/पंच

आदिवासी सार्व

सहकारी संस्था मर्याद

बैतूल

पंजीयन क्रमांक 1805

दिनांक 25.3.2015

विकास खण्ड बैतूल जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया आदिवासी सार्व सहकारी समिति मर्याद बैतूल पंजीयन क्रमांक 1805 दिनांक 25.3.2015 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1370)

क्र.-परिसमापन-2022-425

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत

प्रति,

सहकारी प्रबंध  
 सहकारी संस्था मर्या0 जोलखेडा  
 पंजीयन क्रमांक 546 दिनांक 15.11.1995  
 विकास खण्ड मुल्हाई जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया ताली कला बुन्दर सहकारी समिति मर्या0 जोलखेडा  
 पंजीयन क्रमांक 546 दिनांक 15.11.1995 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह-1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिटर की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओं सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 24.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओं सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1371)

क्र.-परिसमापन-2022-423

५८७ -:- कारण बताओ सूचना-पत्र:- 69  
म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अमरस/पुर्व/२५

अमरस/पुर्व/२५

सहकारी संस्था मर्यादा

चाउविरौली

पंजीयन क्रमांक 571

दिनांक 8.3.1996

विकास खण्ड मर्यादा

जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया अमरस/पुर्व/२५ सहकारी समिति मर्यादा चाउविरौली

पंजीयन क्रमांक 571 दिनांक 8.3.1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1372)

क्र.-परिसमापन-2022-422

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत

प्रति,

अरवि प्रसाद  
पाल बिडी 3402  
सहकारी संस्था मर्या0 सोनीनाथपुर  
पंजीयन क्रमांक 680 दिनांक 27.6.1986  
विकास खण्ड सोनीनाथपुर जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठकें आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया पाल बिडी 3402 सहकारी समिति मर्या0 सोनीनाथपुर पंजीयन क्रमांक 680 दिनांक 27.6.1986 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०डी सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिटर की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1373)



क्र.-परिसमापन-2022-421

-: कारण बताओ सूचना-पत्र- 69

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक  
 सहकारी संस्था मर्यादा हमलापुर  
 पंजीयन क्रमांक 442 दिनांक 29.3.1978  
 विकास खण्ड बैतूल जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया पंजीयन 3407 सहकारी समिति मर्यादा हमलापुर  
 पंजीयन क्रमांक 442 दिनांक 29.3.1978 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1374)

क्र.-परिसमापन-2022-420

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अमरा/प्रबंधक  
 पाटीदार फुल्लिार अयोग  
 सहकारी संस्था मर्या0 मध्य दाना बैतूल  
 पंजीयन क्रमांक 1524 दिनांक 27.12.2005  
 विकास खण्ड बैतूल जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे है।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया पाटीदार फुल्लिार अयोग सहकारी समिति मर्या0 मध्य दाना बैतूल पंजीयन क्रमांक 1524 दिनांक 27.12.2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के0व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म0प्र0 शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते है तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी। यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1375)

क्र.-परिसमापन-2022-419

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत

प्रति,

अरुण प्रथम  
सहकारी संस्था मर्यादित लिमिटेड  
पंजीयन क्रमांक 1507 दिनांक 18.5.2005  
विकास खण्ड चिचोली जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया ~~अरुण प्रथम~~ सहकारी समिति मर्यादित लिमिटेड पंजीयन क्रमांक 1507 दिनांक 18.5.2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०डी० सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह-1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 27.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1376)

क्र.-परिसमापन-2022-418

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव  
सहकारी संस्था मर्यादा निश्चिंतपुर  
पंजीयन क्रमांक 194 दिनांक 2.4.1990  
विकास खण्ड चोराडोरी जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया सहकारी समिति मर्यादा निश्चिंतपुर पंजीयन क्रमांक 194 दिनांक 2.4.1990 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सौरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1377)

क्र.-परिसमापन-2022-417

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अद्वय/पञ्चक

सहकारी संस्था मर्यादा

पंजीयन क्रमांक 1648 दिनांक 30.3.2011

विकास खण्ड सिन्धुवा जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया सहकारी संस्था मर्यादा सहकारी समिति मर्यादा

पंजीयन क्रमांक 1648 दिनांक 30.3.2011 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1378)

क्र.-परिसमापन-2022-416

-: कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत

प्रति,

अ.प्र.स.स.प.स.स.  
भारत माला महिला आयोग  
 सहकारी संस्था मर्यादा पिचोली  
 पंजीयन क्रमांक 1844 दिनांक 5.4.2016  
 विकास खण्ड पिचोली जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे है।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया भारत माला महिला आयोग सहकारी समिति मर्यादा पिचोली  
 पंजीयन क्रमांक 1844 दिनांक 5.4.16 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के०व्ही सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म०प्र० शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह-1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते है तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1379)

क्र.-परिसमापन-2022-415

५१०

:- कारण बताओ सूचना-पत्र:-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत

प्रति,

अहमदाबाद/महाराष्ट्र

जय महालक्ष्मी बांस प्रयोग

सहकारी संस्था मर्यादा बेसदेही

पंजीयन क्रमांक 1041 दिनांक 6.8.1983

विकास खण्ड बेसदेही जिला बैतूल

इस कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे संज्ञान में आया है कि संस्था को निम्नलिखित कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसमापन में लाने हेतु निम्नानुसार पर्याप्त आधार है :-

- 10 संस्था विगत तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
- 11 संस्था अपने गठन के उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं कर रही है।
- 12 संस्था ने अधिनियम, नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन करना बन्द कर दिया है।
- 13 संस्था के पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं है।
- 14 संचालक मण्डल ने संस्था का निर्वाचन समयावधि में नहीं कराया है।
- 15 संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्य संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
- 16 संस्था द्वारा सहकारी विधान नियम एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं कर रही है।
- 17 संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की उपविधि अनुसार प्रबंधकारिणी समिति की समय पर बैठके आयोजित नहीं कर रही है।
- 18 संस्था द्वारा प्राप्त आडिट नोट में दर्शित आडिट आपत्तियों का समयावधि में निराकरण नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रथम दृष्टया जय महालक्ष्मी बांस प्रयोग सहकारी समिति मर्यादा बेसदेही

पंजीयन क्रमांक 1041 दिनांक 6.8.1983 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं के.व्ही. सोरते उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बैतूल म0प्र0 शासन की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पंद्रह -1सी, दिनांक 26.07.1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओं सूचना -पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न ऊपर लिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में आप अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज कथन उत्तर आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26.7.22 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त संबंध में पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है। प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह कारण बताओं सूचना पत्र आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक.

(G-1380)

## कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, खरगोन, सामान्य वनमण्डल, खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.-राजस्व-2022-4996

खरगोन, दिनांक 30 जून 2022

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची वनमण्डल सामान्य खरगोन

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों के सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगोन वनमण्डल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई 2022 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी :-

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्द क्षेत्र रोपण का प्रकार	रोपण क्षेत्र	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल हे. में
1	2	3		4	5
<b>वर्ष 2018</b>					
1	बरुड	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	426	100.000
2	बरुड	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	444	80.000
3	बरुड	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1158	70.000
4	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	प्लासपाली	867	70.000
5	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाडग्याम	873	40.000
6	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सतताली	809	61.000
7	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बेरवाल	834	80.000
8	सिरवेल	उर्जावन चारागाह विकास	रुपगढ़	513	25.000
9	सिरवेल	उर्जावन चारागाह विकास	सिरवेल	547	25.000
10	सिरवेल	उर्जावन चारागाह विकास	पलासखूट	579	25.000
11	सिरवेल	उर्जावन चारागाह विकास	कुम्हारबडी	590	25.000
12	बिस्टान	उर्जावन चारागाह विकास	पिपलझोपा	631	85.000
13	भीकनगाव	उर्जावन चारागाह विकास	पाडल्या	1009	50.000
14	भीकनगाव	उर्जावन चारागाह विकास	पोखरखुर्द	997	50.000
15	चिरीया	उर्जावन चारागाह विकास	सातपाटी	730	90.000
16	चिरीया	उर्जावन चारागाह विकास	बेरछा	956	10.000
17	तितरान्या	उर्जावन चारागाह विकास	चौपाली	774	40.000
18	तितरान्या	उर्जावन चारागाह विकास	बोरवाल	837	80.000
19	तितरान्या	उर्जावन चारागाह विकास	पलासपानी	865	60.000
20	तितरान्या	उर्जावन चारागाह विकास	सतापिपरी	823	80.000
21	तितरान्या	उर्जावन चारागाह विकास	गुवाडा	790	45.000
22	तितरान्या	उर्जावन चारागाह विकास	धुपा	803	59.100
23	खरगोन	मिश्रित वृक्षारोपण	तलकपुरा	1081	40.000
24	बरुड	मिश्रित वृक्षारोपण	पिपल्याबावडी	459	50.000
25	कसरावद	सागोन वृक्षारोपण	देचलाय	1063	50.000
<b>वर्ष 2019</b>					
1	कसरावद	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन मिश्रित वृक्षारोपण	उमरदड	1026	50.00
2	भीकनगाव	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन मिश्रित वृक्षारोपण	रोडिया	998	100.00
3	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	487	50.00
4	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	धरगपुरी	609	40.00
5	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	655	60.00
6	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	जामली	667	60.00
7	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	692	70.00
8	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	भेडागढ	776	35.00
9	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	477	35.00



10	चिरीया	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगडे वनों का सुधार	बोदरान्या	913	100.00
11	तितरान्या	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगडे वनों का सुधार	गाडर्याम	845	50.00
12	खरगोन	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	तलकपुरा	1078	50.00
13	चिरीया	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	बडी	925	40.00
14	चिरीया	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	नहालदरी	909	35.00
15	बिस्तान	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	काबरी	467	40.00
16	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से शहरी वृक्षारोपण	राजपुरा	918	50.00
17	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से शहरी वृक्षारोपण	रौंडखेरा	935	25.00
18	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद् से शहरी वृक्षारोपण	कोडियाखाल	961	25.00
19	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद् से शहरी वृक्षारोपण	बंडार	966	50.00
20	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	मोहनपुरा	701	5.00
21	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	मोहनपुरा	688	5.00
22	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	मोहनपुरा	644	5.00
23	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	अनकवाडी	631 भाग 1	5.00
24	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	अनकवाडी	631 भाग 2	5.00
25	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	मुण्डिया	734	5.00
26	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	घोडी	709 भाग 1	5.00
27	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	घोडी	709 भाग 2	5.00
28	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	खारवा	949 भाग 1	5.00
29	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	खारवा	949 भाग 2	5.00
30	कसरवावद	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	राडली	पी 1182 भाग 1	5.00
31	कसरवावद	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	राडली	पी 1182 भाग 2	5.00
32	कसरवावद	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	पानवा	पी 1189	5.00
33	कसरवावद	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	वलकवाडी	1047	5.00
34	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	अदड	1009	5.00
35	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	गछलगवाव	963	5.00
36	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1171	5.00
37	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1200	5.00
38	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1199 भाग -1	5.00
39	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1199 भाग -2	5.00
40	चिरीया	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	खारवा	948 भाग-1	5.00
41	चिरीया	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	खारवा	948 भाग-2	5.00
42	चिरीया	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	मुण्डिया	734	5.00
43	चिरीया	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	गुलझिरा टार्या	709	5.00
44	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	मोहनपुरा	991 भाग-1	5.00
45	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	मोहनपुरा	991 भाग-2	5.00
46	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	रोडिया	997 भाग-1	5.00
47	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	रोडिया	997 भाग-2	5.00
48	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	जागन्या फाल्या	1015 भाग-1	5.00
49	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	जागन्या फाल्या	1015 भाग-2	5.00
50	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सातखाली	1005 भाग-2	5.00
51	खरगोन	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	दसनावल	1039	5.00

52	खरगोन	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	शाबासपुरा	1171	5.00
53	खरगोन	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सतावड	1193	5.00
54	खरगोन	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	शाबासपुरा	1200	5.00
55	बिस्टान	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सामरपाट	688	5.00
56	बिस्टान	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	झगडी	697	5.00
57	बिस्टान	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	बामनपुरी	632	5.00
58	बिस्टान	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सागरपाट	644	5.00
59	बरुड	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पिपल्या बावडी	659 भाग-1	5.00
60	बरुड	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पिपल्या बावडी	659 भाग-2	5.00
61	कसरावद	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरदड	1021 भाग-1	5.00
62	कसरावद	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरदड	1021 भाग-2	5.00
63	कसरावद	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरदड	1021 भाग-3	5.00
64	कसरावद	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	गवला	पी 1182 भाग-1	5.00
65	कसरावद	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	गवला	पी 1182 भाग-2	5.00
66	तितरान्या	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पाडल्या	877 भाग-1	5.00
67	तितरान्या	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पाडल्या	877 भाग-2	5.00
68	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरिया	553	5.00
69	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	कुम्हावेडी	583	5.00
70	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सिरवेल	545	5.00
71	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पलासखुट	600	5.00
<b>वर्ष 2020</b>					
1	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद् के अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	रोगाव	1083	50.00
2	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद् के अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	तलकपुरा	1078	50.00
3	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद् के अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	गड्डलगांव	980	50.00
<b>वर्ष 2021</b>					
1	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगडे वनों का सुधार	बिस्टान	614	70.00
2	सिरवेल	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगडे वनों का सुधार	सिरवेल	549	40.00
3	भीकनगांव	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगडे वनों का सुधार	भीकनगांव	996	40.00
4	बरुड	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगडे वनों का सुधार	बरुड	412	50.00
5	चिरीया	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगडे वनों का सुधार	चिरीया	769	50.00
6	चिरीया	कैम्पा मद् अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण स्थापना	चिरीया	729	25.00
7	तितरान्या	कैम्पा मद् अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण स्थापना	तितरान्या	823	60.00
8	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण स्थापना	भीकनगांव	957	50.00
9	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण स्थापना	भीकनगांव	985	100.00
<b>वर्ष 2022</b>					
1	चिरीया	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगडे वनों का सुधार	महालक्ष्मी	907	40.00
2	भीकनगांव	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगडे वनों का सुधार	गारुग्याम	870	30.00
3	खरगोन	वृक्ष विहीन पहाडियों को हराभरा करना	तलकपुरा	1077	50.00
4	बरुड	एन.पी.व्ही. मद् के अन्तर्गत बिगडे वनों का सुधार	केली	1151	30.00
5	बरुड	एन.पी.व्ही. मद् के अन्तर्गत बिगडे वनों का सुधार	विद्यगढ	1160	20.00
6	बरुड	एन.पी.व्ही. मद् के अन्तर्गत बिगडे वनों का सुधार	जलालाबाद	412	30.00
7	बरुड	एन.पी.व्ही. मद् के अन्तर्गत बिगडे वनों का सुधार	केली	1154	30.00
8	बरुड	एन.पी.व्ही. मद् के अन्तर्गत बिगडे वनों का सुधार	चिचगढ	1162	30.00

9	सिरवेल	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	रूपगड	543	25.00
10	सिरवेल	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	रातपाटी	1091	30.00
11	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	काबरी	479	25.00
12	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	पिपलझोपा	656	25.00
13	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	राजपूरा	918	40.00
14	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	बडी	934	25.00
15	तितरान्या	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	काकोडा	839	25.00
16	तितरान्या	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	गाडग्याम	872	30.00
17	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	रोडिया	996	80.00
18	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	गुवारामाल	487	20.00
19	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	अगरी	694	40.00
20	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	बडी	932	20.00
21	तितरान्या	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	काकोडा	839	40.00
22	तितरान्या	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	गाडग्याम	875	20.00
23	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	लानारथा	517	40.00
24	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	रायतगरी	575	40.00
25	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	गुण्डिया दक्षिण	769	20.00
26	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगडें वनो का सुधार	महालदरी	960	40.00
27	खरगोन	मनरेगा योजना अन्तर्गत बांस वृक्षारोपण	ऊन	1081	25.00
28	सिरवेल	मनरेगा योजना अन्तर्गत बांस वृक्षारोपण	सिरवेल	545	30.00
29	सिरवेल	मनरेगा योजना अन्तर्गत बांस वृक्षारोपण	कुम्हारबेडी	587	20.00
30	कसरवावद	मनरेगा योजना अन्तर्गत बांस वृक्षारोपण	कमोदवाडा	1028	25.00

प्रशांत कुमार सिंह, वनमण्डलाधिकारी.

(G-1381)

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2022—श्रावण 7, शक 1944

### भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )